



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3815 / 2026

अमित

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज शर्मा, प्रशांत शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रतिभा वोहरा, राजेश बोहरा, रोहित कुमार पटेल

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा वोहरा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित घटना दिनांक 05.12.2025 की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.12.2025 को दर्ज कराई गई, जिसमें इस विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता बालिग है और उसने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि दिनांक 05.12.2025 को लगभग रात्रि 10-11 बजे आवेदक उसके कमरे में घुसा और उसके साथ जबरन

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बलात्कार किया। विवेचक द्वारा पूछे गए प्रश्न कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया, इस पर उसने कहा कि आवेदक ने उसके मुंह को रजाई से दबा दिया था, और जब यह पूछा गया कि दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं किया गया था, तो उसने कहा कि वह उसे बंद करना भूल गई थी। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने पिस्तौल की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। अतः यह कहा गया कि आवेदक को इस मामले में दुर्भावनावश झूठा फंसाया गया है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वे परिस्थितियां भी बताई गईं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यक होगा न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक दिनांक 14.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है।

3. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे किसी प्रकार की राहत प्रदान किए जाने का वह अधिकारी नहीं है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।
4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, साक्ष्यों की प्रकृति तथा मामले से संबंधित समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय इस मत का है कि आवेदक जमानत प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त मामला स्थापित करने में सफल हुआ है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. अभियुक्त/आवेदक अमित, जो मुकदमा अपराध संख्या 198 / 2025, धारा 64(1) बी.एन.एस., थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा से संबंधित है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो सक्षम स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या प्रताड़ित नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह आरोपित है या जिसके करने का संदेह है।
- v) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से विरत हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

4 फरवरी, 2026

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”